

43

**राजस्थान सरकार
उद्योग (ग्रुप-2) विभाग**

क्रमांक प.1 (16)उद्योग/ग्रुप-2/2018

जयपुर, दिनांक 25 SEP 2020

-: आज्ञा :-

भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम-2006 की धारा 20 में निहित प्रावधान के अनुसरण में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के विलम्बित भुगतानों के प्रकरणों के निस्तारण हेतु इस विभाग द्वारा जारी आज्ञा क्रमांक प 1 (16) उद्योग/ग्रुप-2/2018 दिनांक 08.08.2019 के अधिक्रमण में वर्तमान में कार्यरत 4 सुविधा परिषदों के स्थान पर 9 सुविधा परिषदों का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

1. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद, मुख्यालय-प्रथम, जयपुर		
क्षेत्राधिकार	सम्पूर्ण राजस्थान के सभी जिलों के विलम्बित भुगतान के प्रकरण जिनमें क्लेम की गई राशि रु 75 लाख या अधिक हो।	
कार्यालय	आयुक्तालय, उद्योग, राजस्थान, जयपुर	
-:संरचना:-		
आयुक्त, उद्योग	अध्यक्ष	स्थाई
एजीएम, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	सदस्य (1)	स्थाई
महाप्रबन्धक, राजस्थान वित्त निगम, मुख्यालय, जयपुर	सदस्य (1)	स्थाई
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग संघों के दो प्रतिनिधि या पदाधिकारी (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य (2)	दो वर्ष के लिए नामित

2. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद, मुख्यालय-द्वितीय, जयपुर		
क्षेत्राधिकार	सम्पूर्ण राजस्थान के सभी जिलों के विलम्बित भुगतान के प्रकरण जिनमें क्लेम की गई राशि रु 25 लाख से अधिक एवं 75 लाख से कम हो।	
कार्यालय	आयुक्तालय, उद्योग, राजस्थान, जयपुर	
-:संरचना:-		
अतिरिक्त निदेशक, उद्योग (प्रथम)	अध्यक्ष	स्थाई
एजीएम, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	सदस्य (1)	स्थाई
उपमहाप्रबन्धक, राजस्थान वित्त निगम, मुख्यालय, जयपुर	सदस्य (1)	स्थाई
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग संघों के दो प्रतिनिधि या पदाधिकारी (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य (2)	दो वर्ष के लिए नामित

3. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद, जयपुर संभाग		
क्षेत्राधिकार	जयपुर संभाग के समस्त जिलों के विलम्बित भुगतान से संबंधित ऐसे प्रकरण जिनमें क्लेम की गई राशि रु 25 लाख तक हो।	
कार्यालय	जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर (शहर/ग्रामीण)	
—:संरचना:—		
अतिरिक्त निदेशक, उद्योग (सुविधा परिषद)	अध्यक्ष	स्थाई
शीर्ष बैंक अधिकारी, जिला स्तरीय बैंकर्स समिति, जयपुर	सदस्य (1)	स्थाई
शाखा प्रबन्धक, राजस्थान वित्त निगम, जयपुर	सदस्य (1)	स्थाई
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग संघों के दो प्रतिनिधि या पदाधिकारी (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य (2)	दो वर्ष के लिए नामित

4. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद, जोधपुर संभाग		
क्षेत्राधिकार	जोधपुर संभाग के समस्त जिलों के विलम्बित भुगतान से संबंधित ऐसे प्रकरण जिनमें क्लेम की गई राशि रु 25 लाख तक हो।	
कार्यालय	जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर	
—:संरचना:—		
अतिरिक्त निदेशक, उद्योग (सुविधा परिषद)	अध्यक्ष	स्थायी
शीर्ष बैंक अधिकारी, जिला स्तरीय बैंकर्स समिति, जोधपुर	सदस्य (1)	स्थायी
शाखा प्रबन्धक, राजस्थान वित्त निगम, जोधपुर	सदस्य (1)	स्थायी
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग संघों के दो प्रतिनिधि या पदाधिकारी (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य (2)	दो वर्ष के लिए नामित

5. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद, भरतपुर संभाग		
क्षेत्राधिकार	भरतपुर संभाग के समस्त जिलों के विलम्बित भुगतान से संबंधित ऐसे प्रकरण जिनमें क्लेम की गई राशि रु 25 लाख तक हो।	
कार्यालय	जिला उद्योग केन्द्र, भरतपुर	
—:संरचना:—		
अतिरिक्त निदेशक, उद्योग (सुविधा परिषद)	अध्यक्ष	स्थायी
शीर्ष बैंक अधिकारी, जिला स्तरीय बैंकर्स समिति, भरतपुर	सदस्य (1)	स्थायी
शाखा प्रबन्धक, राजस्थान वित्त निगम, भरतपुर	सदस्य (1)	स्थायी
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग संघों के दो प्रतिनिधि या पदाधिकारी (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य (2)	दो वर्ष के लिए नामित

6. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद, उदयपुर संभाग		
क्षेत्राधिकार	उदयपुर संभाग के समस्त जिलों के विलम्बित भुगतान से संबंधित ऐसे प्रकरण जिनमें क्लेम की गई राशि रु 25 लाख से कम हो।	
कार्यालय	जिला उद्योग केन्द्र, उदयपुर	
—:संरचना:—		
अतिरिक्त निदेशक, उद्योग (सुविधा परिषद)	अध्यक्ष	स्थायी
शीर्ष बैंक अधिकारी, जिला स्तरीय बैंकर्स समिति, उदयपुर	सदस्य (1)	स्थायी
शाखा प्रबन्धक, राजस्थान वित्त निगम, उदयपुर	सदस्य (1)	स्थायी
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग संघों के दो प्रतिनिधि या पदाधिकारी (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य (2)	दो वर्ष के लिए नामित

7. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद, अजमेर संभाग		
क्षेत्राधिकार	अजमेर संभाग के समस्त जिलों के विलम्बित भुगतान से संबंधित ऐसे प्रकरण जिनमें क्लेम की गई राशि रु 25 लाख तक हो।	
कार्यालय	जिला उद्योग केन्द्र, अजमेर	
—:संरचना:—		
अतिरिक्त निदेशक, उद्योग (सुविधा परिषद)	अध्यक्ष	स्थायी
शीर्ष बैंक अधिकारी, जिला स्तरीय बैंकर्स समिति, अजमेर	सदस्य (1)	स्थायी
शाखा प्रबन्धक, राजस्थान वित्त निगम, अजमेर	सदस्य (1)	स्थायी
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग संघों के दो प्रतिनिधि या पदाधिकारी (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य (2)	दो वर्ष के लिए नामित

8. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद, कोटा संभाग		
क्षेत्राधिकार	कोटा संभाग के समस्त जिलों के विलम्बित भुगतान से संबंधित ऐसे प्रकरण जिनमें क्लेम की गई राशि रु 25 लाख तक हो।	
कार्यालय	जिला उद्योग केन्द्र, कोटा	
—:संरचना:—		
अतिरिक्त निदेशक, उद्योग (सुविधा परिषद)	अध्यक्ष	स्थायी
शीर्ष बैंक अधिकारी, जिला स्तरीय बैंकर्स समिति, कोटा	सदस्य (1)	स्थायी
शाखा प्रबन्धक, राजस्थान वित्त निगम, कोटा	सदस्य (1)	स्थायी
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग संघों के दो प्रतिनिधि या पदाधिकारी (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य (2)	दो वर्ष के लिए नामित

9. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद, बीकानेर संभाग		
क्षेत्राधिकार	बीकानेर संभाग के समस्त जिलों के विलम्बित भुगतान से संबंधित ऐसे प्रकरण जिनमें क्लेम की गई राशि रु 25 लाख से कम हो।	
कार्यालय	जिला उद्योग केन्द्र, बीकानेर	
—:संरचना:—		
अतिरिक्त निदेशक, उद्योग (सुविधा परिषद)	अध्यक्ष	स्थायी
शीर्ष बैंक अधिकारी, जिला स्तरीय बैंकर्स समिति, बीकानेर	सदस्य (1)	स्थायी
शाखा प्रबन्धक, राजस्थान वित्त निगम, बीकानेर	सदस्य (1)	स्थायी
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग संघों के दो प्रतिनिधि या पदाधिकारी (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य (2)	दो वर्ष के लिए नामित

राज्यपाल की आज्ञा से,

(चिन्मयी गोपाल)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उद्योग मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. अपर सचिव एवं विकास आयुक्त, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग एवं एमएसएमई विभाग।
7. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आज्ञा को असाधारण राजपत्र में प्रकाशन करने की व्यवस्था करावें।
10. वित्तीय सलाहकार, आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. संयुक्त वित्तीय सलाहकार, (पी.पी.सी.) विभाग।
12. रक्षित पत्रावली

2008 25/9/2020
(रत्नेश कुमार शर्मा)
सहायक शासन सचिव